सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 17, मंगलवार, *शाके* 1941–जनवरी 7, 2020 *Pausa 17, Tuesday, Saka 1941–January 7, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 22, 2019

संख्या प.7(77)कृषि/ग्रुप-2/2003 पार्ट-II :-राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम,1961 की धारा 5(क) एवं राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम,1963 के नियम 56(क) के अन्तर्गत निदेशक कृषि विपणन द्वारा निजी गौण मण्डी यार्ड की स्थापना हेतु मैसर्स मरूधरा प्राईवेट सब मार्केट यार्ड अरडकी रोड नोहर जिला हनुमानगढ को अनुज्ञापत्र संख्या 3 दिनांक 09.09.2013 जारी किया गया है।

अब राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की 5 की उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार मण्डी क्षेत्र नोहर में नवनिर्मित निजी गौण मण्डी प्रांगण ''मरूधरा प्राइवेट सब मार्केट यार्ड'' अरडकी रोड, नोहर जिला हनुमानगढ के नाम से गौण मण्डी यार्ड घोषित करती है, जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार से होगीः-

1. उत्तर में ग्राम ब्राह्मणवासी का खसरा नं. 47 अल्लादीन पुत्र कंजु व खसरा नं. 45/03 ममता पत्नी अंजनी कुमार
2. दक्षिण में ग्राम ब्राह्मणवासी का खसरा नं. 55/01 सतलाल पुत्र जोराराम व खसरा नं. 54 नत्थूराम पुत्र भानीराम
3. पूर्व में आम सड़क नोहर से अरडकी
4. पश्चिम में ग्राम ब्राह्मणवासी का खसरा 53/02 ममता पत्नी अंजनी कुमार व खसरा नं. 53/01 सत्यभामा पत्नी श्यामसुन्दर तथा इन सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

पुनः उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान सरकार विज्ञप्त करती है कि इस मण्डी क्षेत्र में उपरोक्त गौण मण्डी यार्ड की सीमाओं से लेकर ग्राम ब्राह्मणवासी, ग्राम पंचायत अरडकी की वर्तमान सीमाओं तक कोई स्थानीय अधिकारी किसी विधि के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और कोई अन्य व्यक्ति इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख पर या पश्चात उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए विज्ञप्त किसी भी कृषि उपज के क्रय एवं विक्रय के लिए कोई स्थान नहीं जमायेगा, स्थापित करेगा या कायम रखे जाने की अनुमति नहीं देगा।

आगे राजस्थान सरकार घोषणा करती है कि इस विज्ञप्ति में धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत उपरोक्त गौण मण्डी की सीमाओं से लेकर ग्राम ब्राह्मणवासी का सम्पूर्ण क्षेत्र मार्केट प्रोपर होगा जैसा कि राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम,1961 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड 10 के अन्तर्गत परिभाषित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
लालचन्द गुर्जर,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।